न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 60/2017 (2017/00291)

वादीगण

1. इन्द्राराम पुत्र रामधन
2. नारायणराम पुत्र रामधन
3. हीराराम पुत्र रामधन
4. मूलाराम पुत्र रामधन
5. चन्द्राराम पुत्र रामधन जाति बावरी ग्राम राजपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मीरादेवी पुत्री तेजाराम
2. रामदेवी पुत्री तेजाराम
3. कानाराम पुत्र पेमाराम
4. बोदूराम पुत्र पेमाराम
5. उमाराम पुत्र पेमाराम
6. रामेश्वर पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील कुचामन सिटी।
7. सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जिलिया
8. उप पंजीयक, कुचामनसिटी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राज. का. अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री भवानी सिंह अधिवक्ता वादी की ओर से

निर्णय

दिनांक: 22.02.2018

प्रार्थीगण ने अपने खेत ग्राम राजपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 23, 24, 25, 26, 27 में जाने के लिये रास्ता नहीं होने से रास्ता हेतु ग्राम राजपुरा के खसरा नम्बर 33 में से रास्ता लेने के लिये सम्बन्धित खातेदारन को पक्षकार बनाकर प्राथर्ना पत्र प्रार्थीगण ने अन्तर्गत धारा 251 (ए) राज0 का0 अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायालय क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्ट्रर कर अप्रार्थीगण की सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार एवं उप पंजीयक कुचामनसिटी से मौका व डीएलसी रिपोर्ट मंगवाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व 6 ता 9 बावजूद सूचना के गैर हाजीर होने पर इकतरफा की हुई है। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से वकील श्री जगदीश प्रसाद नेहरा ने वकालत नामा जबाब मय दस्तावेज के पेश किये। मौका रिपोर्ट दिनांक 14.02.2018 की शामिल मिसल है। वकुलाय ने बहस सुनाई, बहस में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत में आने जाने के लिये कोई रास्ता नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राज0 का0 अधिनियम 1955 पेश किया है जो स्वीकार फरमा कर ग्राम राजपुरा के खसरा नम्बर 33 में से रास्ता कटाणी कायम किये जाने के आदेश फरमावें। प्रार्थीगण उक्त रास्ता की एवज में भूमि का मुआवजा राशि देने को तैयार हैं।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

वकील अप्रार्थी संख्या 5 के ब्रिफ होल्डर श्री श्याम सुन्दर चौधरी उपस्थित, जिन्होने अप्रार्थी संख्या 5 के जबाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण 1 ता 4 खसरा नम्बर 23 व 26 की खातेदारी नहीं होने से प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 21 या 22 की भूमि खसरा नम्बर 33 की भूमि से कटाणी रास्ता के नजदीक होने से प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 33 से रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं है यह तथ्य तहसीलदार कुचामनसिटी की मौका रिपोर्ट से साबित है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राज0 का0 अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विपरीत होने से खारीज फरमावें। वकुलाय की बहस एवं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राज0 का0 अधिनियम 1955 व अप्रार्थीगण संख्या 5 का जबाब मय संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार कुचामनसिटी की मौका रिपोर्ट का अवलोकन एवं मनन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचा है कि प्रार्थीगण को अपने खातेदारी के खेत में जाने के लिये रास्ता नहीं होने से प्रार्थना पत्र पेश किया। वकील अप्रार्थी सख्यां 5 ले जबाब पेश किया, तहसीलदार कुचामनसिटी ने मौका रिपोर्ट पेश कि। जबाब व मौका रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थीगण के खेत में जाने के लिये खसरा नम्बर 33 में से होकर जाने से रास्ता की लम्बाई 170 मीटर है तथा खसरा नम्बर 22 में से होकर जाने से रास्ता की लम्बाई 163 मीटर बताई है। अन्तर्गत धारा 251 (ए) राज0 का0 अधिनियम 1955 में प्रावधान है कि काश्तकार के खातेदारी के खेत में जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है तो नजदीकी कटाणी रास्ते से रास्ता दिलाने की कार्यवाही की जावें। प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 33 में से रास्ता चाहा है जबकि उसके नजदीकी तहसीलदार कुचामनसिटी की मौका रिपोर्ट से खसरा नम्बर 22 में होकर पडता है इसलिये प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 33 में रास्ता दिया जाना अन्तर्गत धारा 251 (ए) राज0 का0 अधिनियम 1955 के प्रावधानों अनुसार सही नहीं है। प्रार्थीगण चाहे तो खसरा नम्बर 22 या इससे कोई नजदीक विकल्प हो तो अलग से आवेदन कर सकते है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का आदेश निम्नप्रकार पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम राजपुरा में प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 23, 24, 25, 26, 27 में आवागमन के लिये खसरा नम्बर 33 की बजाय खसरा नम्बर 22 नजदीक है इसलिये प्रार्थीगण नजदीकी खसरा नम्बर से रास्ता लेने का आवेदन प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राज0 का0 अधिनियम 1955 के प्रावधानों की श्रेणी ने नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनॉक 22/02/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुखराम गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)